तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 3703 / 2023 / हनुमानगढ़** **करनैल सिंह बनाम जगदीश सिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<u>एकल–पीठ</u> श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य उपस्थितः– श्री अमृतपाल सिंह, अभिभाषक प्रार्थी। <u>निर्णय</u> दिनांकः– 21–08–2023 यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 सपठित धारा 221 राजस्थान राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26–05–2023 प्रकरण सं0 119 / 2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी / प्रार्थी ने निगरानी मीमों में वर्णित विवादित आराजी बाबत एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 आरटीए के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतसर के समक्ष प्रस्तुत किया गया इसके साथ ही अंतर्गत धारा 212 आरटीए का प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत किया। वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर अंतर्गत धारा 212 आरटीए पर परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 23–05–2022 द्वारा विवादित आराजी को अन्यत्र रहन, बय व मुंतलिक नहीं करने तथा मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति के आदेश पारित कर दिए गए जिसके विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकार, हनुमानगढ़ के समक्ष एक मियाद बाहर अपील मय स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत की जिस पर विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 26–05–2023 को परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–05–2022 की पालना / प्रभाव को स्थगित कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। निगरानी के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थनापत्र पर अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों एवं निगरानी के साथ स्थगन प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने एकतरफा तौर पर मियाद बिन्दु को निर्णित किए बिना अपना आदेश पारित कर दिया जबकि कानूनन आदेश 41 नियम 3–ए जा0दी0 के प्रावधानों के अनुसार अपीलीय न्यायालय जब तक अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपील में विलम्ब पर सर्वप्रथम सुनवाई के पश्चात मियाद बिन्दु को निर्णित नहीं कर देते तब तक उनके समक्ष अपील कॉम्पीटेन्ट नहीं थी। उनका तर्क है कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 3703 / 2023 / हनुमानगढ़** **करनैल सिंह बनाम जगदीश सिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान परीक्षण न्यायलय के समक्ष विपक्षीगण / अप्रार्थीगण उपस्थित हो चुके थे जिन्होंने विद्वान परीक्षण न्यायलय के समक्ष दिनांक 29–07–2022 को उपस्थित होने के बावजूद उसमें आगामी नियमित कोई चाराजोही नहीं कर सीधे ही उक्त आदेश की जानकारी विपक्षीगण / अप्रार्थीगण को दिनांक 29–07–2022 को होने के बावजूद भी विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील दिनांक 26–05–2023 को जानकारी के बावजूद मिथ्या व मनगढ़न्त तथ्य धारा 5 मियाद अधिनिमय के प्रार्थनापत्र में वर्णित कर वेग आधारों पर अत्यधिक मियाद बाहर प्रस्तुत कर की जो कानूनन बिन्दु पर ही निरस्तनीय है। निगरानी आदेश की पालना में प्रार्थी अपने चाचा स्वर्णसिंह से वसीयत के आधार पर प्राप्त भूमि पर काबिज काश्त है एवं उसका उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है परन्तु विपक्षीगण निगरानीधीन आदेश की आड़ में हाल विपक्षीगण प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि में दखलअंदाजी व मदाखलत उत्पन्न करने, बेदखल करने व अन्यत्र रहन व मुंतकिल करने पर उतारू है जिससे निगरानीधीन आदेश की पालना को स्थगित किया जाना न्यायसंगत है। हमने अभिभाषक प्रार्थी की ओर से निगरानी के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थनापत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय दिनांक 23–05–2022 से स्पष्ट है कि हाल प्रार्थी की ओर से दावे के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 पेश किया गया है जिस पर विद्वान परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनते हुए अस्थाई अंतरिम आदेश इस आशय का जारी किया गया कि वादपत्र में वर्णित विवादित आराजी कुल 3.400 हैक्टेयर भूमि को किसी प्रकार से रहन एवं मुंतकिल करने से निषिद्ध रहे तथा रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का उज्र एवं एतराज हो तो न्यायालय में दिनांक 13–06–2022 को उपस्थित होकर वजह जाहिर करे। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष एक मियाद बाहर अपील मय स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत की गई। जिस पर एकपक्षीय बहस सुनते हुए निगरानीधीन आदेश के द्वारा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–05–2022 की पालना व प्रभाव व दिनांक को आगामी दिनांक तक स्थगित किया जाकर तहत न्यायालय का रिकॉर्ड तलब करते हुए पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 27–06–2023 नियत की गई है। स्पष्ट है कि उक्त आदेश एक अंतरिम आदेश है जिसके विरूद्ध मण्डल के समक्ष पोषणीय नही होने से हस्तगत निगरानी एडमीशन स्तर पर ही खारिज की जाती है। यहॉ यह भी स्पष्ट है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 3703 / 2023 / हनुमानगढ़** **करनैल सिंह बनाम जगदीश सिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–5–22 भी एक अंतरिम आदेश था जिसके विरुद्ध अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील भी पोषणीय नहीं थी, फिर भी विद्वान अपीलीय न्यायालय ने निगरानीधीन आदेश पारित कर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः उक्त आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निगरानी एक अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत होने से व इस न्यायालय में पोषणीय नही होने से एडमीशन स्तर पर ही खारिज की जाती है साथ ही निगरानीधीन आदेश दिनांक 26–5–2023 भी निरस्त किया जाता है। प्रकरण परीक्षण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों की विधिवत सुनवाई करते हुए उनके समक्ष विचाराधीन प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर दो माह के अन्दर अपना विधि सम्मत निर्णय पारित करें, तब तक परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–5–2022 यथावत रहेगा, यदि दो माह के अन्दर निर्णय पारित नही किया जाता है तो परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश 22–05–2022 की पालना स्वतः ही स्थगित मानी जावेगी। पक्षकारान परीक्षण न्यायालय में दिनांक 31–08–2023 को सुनवाई हेतु उपस्थित हों। परीक्षण न्यायालय उक्त दिनांक से आगामी दो माह में अपना निर्णय पारित करेगा। प्रार्थी इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर, नियत दिनांक से पूर्व परीक्षण न्यायालय को उपलब्ध करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	